महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार की भूमिका–

डॉ.महेन्द्र सिंह धाकड
आईसेक्ट विश्वविधालय, रायसेन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। गर्भवती महिलओं की मृत्युदर घटकर आधी हो गई है, महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की संलग्नता बढ़ी है, व्यवसायी महिला की पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है, लिंग समानता में भी कुछ वृद्धि अंकित की गयी है। महिलाओं की दशा में इस प्रकार सुधार के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकार महिला कल्याण कार्यों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से संचालित करती है। अतः इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका भी सराहनीय एवं उत्साहवर्द्धक रही है।

I भूमिका

प्रस्तुत आलेख में महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया हैं। भूमिका के विभिन्न आयाम निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट किये जा सकते है–

(क) संविधान एवं सामाजिक विधान–सरकार ने भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समान स्तर प्रदान किया है तथा लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी समान कार्यों के लिए महिलाओं को समान पारिश्रमिक प्रदान किये जाने का भी निर्देश दिया गया है। अतः सरकार द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई विशेष विधान पारित किये गये हैं, जैसे–हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995 स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापर दमन अधिनियम, 1956, समाज पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि।

(ख) पंचवर्षीय योजना एवं बीस सूत्री कार्यक्रम–सरकार ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं एवं बीस सूत्री कार्यक्रम, जैसे विशिष्ट आयोजनों में भी महिलाओं के हितों पर विशेष ध्यान दिया है तथा महिला विकास को ध्यान में रखकर कानून में संशोधन किये जा रहे है। विकास कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम तथा पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जा रही है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सेवा ली जा रही है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहाकार समिति भी बनायी गयी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने को उद्देश्य से आठवी पंचवर्षीय योजना (1992–97) में महिला विकास के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को प्राथमिकता प्रदान की गयी तथा मुख्य रूप से निम्नलिखित महिला विकास की केन्द्रीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी– 1. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल, 2. महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिखण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, 3. प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावासायिक प्रशिक्षण के अल्पकालिक पाठ्यक्रमए 4. ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, 5. महिलाओं के प्रशिक्षण द्वारा रोजगार की स्थिति में सुधार, 6. स्वयंसेवी संगठनों को कार्य मे सक्रिय रखना, 7. संकटकालीन आश्रय, 8. असहाय महिलाओं को पुरर्स्थापना हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों और 9. महिला संगठनों की नीति निर्माण में भाग लने के अवसर प्रदान करना। इसके अतिरिक्त समाज में महिलाओं के अधिकार के प्रति जागृति, उनकी स्थिति में सुधार, उनका उत्पीड़न रोकने हेतु जनजागृति, महिला कल्याण से संबंधित संगठनों की सहायता और पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी सहायता की योजाएँ भी बनायी गयी है तथा नौंवी योजना (1997–2000) में पहली बार 'महिला सशक्तिकरण (empowerment)' को प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) महिला विकास कार्यक्रम– सरकार ने महिलाअयों के विकास हेतु कई कार्यक्रमों को लागू किया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों में महिला विकास विभागों का गठन किया गया है तथा नयी शिक्षा नीति में महिला समानता एवं महिलाओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के विकास कार्यक्रम के निर्माण में भी महिला संगठरनों के विचारों को महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत में मुख्यरूप से निम्नलिखित महिला कल्याण कार्यक्रम क्रियांवित किये जा रहे है।

(घ) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी (Women's Participation in Panchayati Raj) & विकास कार्य में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुविश्चित करने के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी। इस अवसर पर पंचायती राज संगठनों को महिला विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायतों और जिला परिषदों में 30 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है, ताकि विकस में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर उनका विकास किया जा सके। गॉवों में देश की 89 प्रतिशत महिलाएं रहती है, अतः ऐसी भागीदारी से महिलाओं में नई जागृति आयेगी, विधान सभा एवं संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, नारी समस्याओं के प्रति जागरूकता से महिलाओं का विकस स्वप्रेरणा से होने लगेगा। विकाय कार्यक्रमों से जुड़ने के पश्चात् महिलाओं के सम्मान में भी वृद्धि होगी।

इस प्रकार महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक सिद्ध हुई है। महिला उत्पीड़न की समस्या ने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया फलस्वरूप सरकार को एक पृथक महिला विकास मंत्रालय का गठन करना पड़ा। आज भी महिला संगठनों द्वारा कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति में महिलाओं का अधिकर, तलाक प्रक्रिया, लिंग जॉच विरोध, समान नागरिक कानून, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न तथा सती प्रथा को महिमा मंडित करने का विरोध आदि प्रमुख है। यद्यपि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों, अत्याचारों एवं हिंसा की घटनाओं की जॉच पड़ताल करने तथा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुक्त की नियुक्ति प्रस्तावित है, फिर भी सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इसके अतिरिक्त सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवसी पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए बने–बनाए मकान खरीदने के लिए एच्छिक संगठनों को 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिसम्बर 1996 तक 787 महिला छात्रावास बनाए गये, जिसमें 54000 से अधिक कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुँचा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला कलयाण के क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही भारत महिला आन्दोलन को गति एवं एक नयी दिशा प्राप्त हुई है।

II व्यापक राष्ट्रीय योजना

अनेक कानूनों एवं कार्यक्रम के बावजूद महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं होने के कारण सरकार ने देशभर में 30 महिला संगठनों के सहयोग से सन् 2000 तक महिलाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना (NPP) तैयार की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक विकास तथा सभी महिलाओं के लिए सामजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं की समस्याओं को निम्न शीर्षकों में रखा गया है– रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, कानूनी–सामाजिक उत्पीड़न, ग्रामीण विकास और राजनीतिक भागीदारी। इस योजना में महिला विकास के लिए निम्न संस्तुति की गयी है–

(क) सन् 2000 तक देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून बने।

(ख) सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो तथा दहेज की मॉग को तलाक का आधार माना जाए।

(ग) ऐसी व्यवस्था की जाए जो अभिभावकों को ऐसी वसीयत करने में निरूत्साहित करें, जिसमें बेटी को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित किया जाता है।

(घ) राशन कार्ड महिला के नाम पर हो।

(च) तलाक हो जाने पर गुजारा भत्ते का निर्धारण बुनियादी आवश्यकताओं को ध्याम में रखकर किया जाना चाहिए।

(छ) सभी महिलाओं को मातृत्व एवं प्रसूति के अधिकर का पूर्ण सरंक्षण हो तथा इसमें महिला की वैवाहिक स्थिति आड़े नहीं आनी चाहिए।

(ज) महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था।

यद्यपि इस योजना को क्रियांवित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है, परन्तु इसके क्रियान्यवयन में स्वयंसेवी संगठनों को और जनसंचार माध्यामें को विशेष भूमिका दी गयी है। ये स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त कर उनमें आत्म विश्वास जगाकर सरकारी विभागों के उपायों से लाभ लेना सिखा सकती हैं। अतः स्वयंसेवी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग के बिना इस योजना को क्रियांन्वित कर पाना कठिन है।

II महिला कल्याण के उपक्रम और कार्ययोजनाएं

(क) राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ (NWF)–मार्च 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिलाकोष का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं और विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रायः गरीब महिलाओं को औपचारिक संस्थागत ऋण साधनों तक पहुँच करने में अन्यथा कठिनाई होती है। तीन वर्षों की अल्प अवधि में राष्ट्रीय महिला कोष ने 15 नवम्बर 1996 तक 129 गैर सरकारी संगठनों को आगे उधार देने के लिए 26 करोड़ रूपये की विस्तारित सीमा तक के ऋण मंजूर किये। 14 मार्च, 1997 तक इस कोष के द्वारा लगभग 1.9 लाख महिलाओं को 33. 56 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकार किया गया तथा 19. 19 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया।

(ख) इंदिरा महिला योजना (IMY)–20 अगस्त 1995 को प्रारम्भ इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन्हें आय के साधन उपलब्ध कराना है। प्रथम चरण में इसे देश के 200 विकास खण्डों में आरंभ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गॉवों एवं शहरी झुग्गी बस्तियों में महिला समूह गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो आंगनवाड़ी स्तर पर स्थापित इंदिरा केन्द्र के सहयोग से कार्य करेंगे। इस योजना में सड़क निर्माण ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत विस्तार, सामाजिक वानिकीकरण तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के आरम्भ से अब तक 200 विकासखण्डों में 114 से अधिक इंदिरा महिला ब्लाक समिति पंजीकृत की जा चुकी है और इंदिरा महिला केन्द्रों में 7000 से अधिक महिला समूह बनाए जा चुके है।

(ग) राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र **(National Research Cantre for Woman-NRCW) &** डेनिस सहायता से शीघ्र ही महिलाओं को तकनीकी रूप से सबल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है–DANIDA (Danish International Development Agency) से अगले पॉच वर्षों में 11.17 करोड रूपये की सहायता राशि मिलने की आशा है।

(घ) ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना **(Rural women Development and Empowerment Project) &** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFED)की सहायता से 50 मिलियन डालर की एक परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे ग्रामीण विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना कहा जाता है।

(च) राष्ट्रीय महिला आयोग **(NWC) &** महिलाओं के हितों की रक्षा, उन्नति एवं प्रगति के उद्देश्य से वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। महिला से संबंधित प्रत्येक समस्या का हल ढूँढकर सरकार को बताना इस आयोग का एक प्रमुख कार्य है। देश के किसी कोने से कोई भी महिला अपनी या किसी अन्य की शिकायत आयोग के समक्षा सीधे ला सकती है। महिला के प्रति दुर्व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, अधिकारों की सुरक्षा आदि इसके कार्यक्षेत्र की सूची में शामिल है। इस आयोग ने अनेक महिला लोक अदालतों के माध्यम से लगभग 7000 महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाया है।

(छ) बालिका सार्क दशक के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना –बालिका को बराबर संरक्षण एवं विकास का अवसर देने के उद्देश्य से तथा उन्हें भूख, अशिक्षा, अज्ञानता एवं शोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बालिका सार्क दशक (1991-2000) के लिय राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया गया है।

संदर्भ

{1} टी. के. पाण्डेय, सामाजिक कार्य, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृष्ठ–55।

{2} डॉ. जी.आर. मदर, समाज कार्य दर्शन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली–पृष्ठ 112।